न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 270/2020 दायर दिनाँक 08.10.2020

वादीगण

1. बाली देवी पुत्री स्व0 मोतीराम जाट पत्नि स्व0 हनुमानराम (फौत)
   1/1 नाथुराम पुत्र हनुमानराम
   1/2 गोरधनराम पुत्र हनुमानराम
   1/3 राम कुंवार पुत्र हनुमानराम समस्त जाति जाट निवासी कटोती तहसील जायल जिला नागौर।
   1/4 श्रीमती मंगनी देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि नाथुराम जाति जाट निवासी तीतरी तहसील लाडनूं
   1/5 रामेश्वरी देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि तिलोकाराम निवासी लोरोली छोटी तहसील डीडवाना
   1/6 मुन्नी देवी पुत्र हनुमानराम पत्नि गणेशाराम निवासी लोरोली छोटी तहसील डीडवाना
   1/7 रूकमा देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि लूणाराम निवासी चुआ तहसील डेगाना
2. पेमी देवी पुत्री स्व0 मोतीराम जाट पत्नी स्व0 पूरखाराम उम्र 75 वर्ष मूल निवासी रणसीसर जाटान हाल निवासी तीतरी तहसील लाडनूं, जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम जाति भाम्बी उम्र लगभग 73 वर्ष निवासी जोधपुर हाल मुकाम टैगोर सर्किल के पास, कस्बा नोहर तहसील नोहल जिला हनुमानगढ़ कथित रूप से स्वतन्त्र सिंह कथित पुत्र स्व. ज्ञानेद्र सिंह जाट कथित निवासी रणसीसर जाटान तहसील डीडवाना।
2. झमकु देवी पुत्री स्व. मोतीराम जाट पत्नि स्व0 पूरखाराम (फौत)
   2/1 सालिगराम पुत्र स्व0 झमकु देवी जाति जाट निवासी गोदरास
   2/2 चुनाराम पुत्र स्व झमकु देवी जाति जाट निवासी गोदरास
   2/3 मोहनी पुत्र स्व0 झमकु देवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी दुदोली
   2/4 प्रेम पुत्र स्व0 झमकु देवी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी दुदोली
   2/5 छोटी पुत्री स्व झमकु देवी वत्पि गोविन्दराम जाति जाट निवासी कडवा की ढाणी
   2/6 बाजु पुत्री स्व0 झमकु देवी पत्नि चेतनराम जाति जाट निवासी खुनखुना
   2/7 नौजी पुत्री स्व0 झमकु देवी पत्नि हरदीनाराम जाति जाट निवासी नोजला की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर
3. भींयाराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
4. सीताराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
5. बस्तीराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
6. जवानाराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
7. किशनाराम पुत्र स्व0 रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार) (माता सिंणगारी पुत्री मोतीराम, दोहिता स्व. मोतीराम) समस्त जाति जाट ठोलिया निवासीगण ग्राम खियाला तहसील जायल जिला नागौर राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, घोषित करने शून्य दस्तावेज आदि एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर एडवोकेट वादीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

—:: निर्णय ::—

दिनॉंक **04.03.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीपक्ष स्व. मोतीराम की जायन्दा पुत्रियां है तथा प्रतिवादी में से बस्तीराम, जवानाराम व किशनाराम स्व. मोतीराम के दोहिते है तथा मोतीराम की स्वर्गवासी पुत्री सिंणगारी के पुत्र है। प्रतिवादी भींयाराम व सीताराम बाहर नौकरी करने से उन्हे अवकाश नही मिला इसलिए उनके हस्ताक्षर उपलब्ध नही होन के कारण उन्हे दर्शित प्रतिवादी बनाया गया है। झमकु, बस्तीराम, जवानाराम, किशनाराम गांव में उपस्थित नही होने के कारण उनके हस्ताक्षर उपलब्ध नही होने के कारण उन्हे दर्शित प्रतिवादी बनाया गया है। परन्तु वादीगण व उक्त भीयाराम, सीमाराम, बस्तीराम, जावानाराम, किशनाराम गांव में उपस्थित नही होने के कारण उन्हे दर्शित प्रतिवादी बनाया गया है। परन्तु वादीगण व उक्त भीयाराम, सीताराम, बस्तीराम, जावानाराम, किशनाराम व झमकु देवी का इस प्रकरण में समान हित व इसी अनुरूप अनुतोष चाहा गया है। भीयाराम, सीताराम, बस्तीराम, जवानाराम, किशनाराम व झमकु देवी का इस वाद में वादीगण के हितो से विपरीत हित नही है। उनके विरूद्ध कोई पृथक से अनुतोष नही चाहा गया है।

यह है कि वादीगण के पिता मोतीराम स्व0 बीजाराम के पुत्र थे। बीजाराम के बड़े पुत्र रामूराम थे, जिनके एकमात्र पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह थे। ज्ञानेन्द्र सिंह के एक पुत्री स्व0 रूकमा, दो पुत्र क्रमशः स्वतन्त्र सिंह (जो 1966 में ही गोपाराम भाम्बी के गोद दे दिये गये व चले गये जिसका विवरण आगे है) तथा दुसरा पुत्र प्रेम प्रकाश हुआ।

यह है कि वादीगण के पिता मोतीराम के खातेदारी गिरदावरी व कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 331 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा ग्राम बांठड़ी तहसील डीडवाना में अवस्थित रहे है। जिस पुराने खसरा सं0 331 के पहले नये खसरा सं0 433 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा बना तथा इसके बाद फिर नये खसरा सं0 680 रकबा 7.78 हैक्टे0 बना। इसी प्रकार नये खसरा सं0 666 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गैर मुमकीन बाड़ा की ग्राम रणसीसर में उक्त स्व0 मोतीराम के खातेदारी व कब्जा काश्त का रहा। संबन्धित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिया पेश है।

यह है कि उपर वर्णित मोतीराम के भतीजे ज्ञानेन्द्र सिंह ने अपने बड़े पुत्र स्वतन्त्र सिंह को दिनांक 23.06.1966 को ही एक गोपाराम पुत्र बीजाराम जाति भाम्बी (अनुसूचित जाति) व उसकी पत्नि सेजा पत्नि गोपाराम जाति भाम्बी ग्राम कजनावास तहसील औसीया जिला जोधपुर राज0 वाले ने गोद दे दिया। यद्यपि ज्ञानेन्द्र सिंह व उनकी पत्नी मोहनी देवी ने उक्त स्वतन्त्र सिंह को गोद तो लगभग 1956 में ही दे दिया था। परन्तु उसकी कोई कानूनी लिखावट नही हुई थी। जातिगत रश्म रिवाज व सामाजिक परम्परा अ[illegible] लेन व गोद देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया तो उक्त स्वतन्त्र सिंह के 7–8 [illegible] की [illegible] में हो गयी थी। परन्तु कोई कानूनी खामी नही [illegible] दिनांक 23.06.1966 को लिखाया जाकर दिनांक 29.06.1966 को इसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

पंजीकरण करवाया गया। इस लेखपत्र से 10 वर्ष से पहले से ही स्वतन्त्र सिंह का गोद लेने व देने का संदर्भ से पंजीकृत गोदनामा विलेख में है। इस प्रकार यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त स्वतन्त्र सिंह कि जिस समय 7–8 वर्ष कि आयु थी उस समय से ही स्वतन्त्र सिंह उस गोपीराम भाम्बी के गोद जा चुका था और उपरोक्तानुसार 10 वर्ष बाद में इसका पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित कर दिया गया। स्वतन्त्र सिंह के गोद जाने ज्ञानेन्द्र व मोहनी देवी द्वारा स्वतन्त्र को देने व गोपाराम व सेजी देवी द्वारा गोद लेने अर्थात गोद लेने व देने की सामाजिक व धार्मिक रश्म पुत्री होने के पश्चात उक्त स्वतन्त्र सिंह के समस्त वर्तमान व भावी विधिक अधिकार प्राकृतिक पिता ज्ञानेन्द्र सिंह की सम्पति में पूर्णतः समाप्त हो गये और स्वतन्त्र सिंह के गोद जाने के पश्चात वह किसी भी रूप में ज्ञानेन्द्र सिंह का कोई उत्तराधिकारी नही रहा, न ज्ञानेन्द्र सिंह की सम्पति में उसका अधिकार रहा। विधिक रूप से गोद जाने के तुरन्त पश्चात उक्त स्वतन्त्र सिंह के वे समस्त अधिकार समाप्त हो गये जो किसी प्राकृतिक पुत्र को प्राप्त होते है। स्वतन्त्र सिंह के पुत्र होने के समस्त अधिकार गोद जाने के तुरन्त पश्चात गोपाराम पुत्र बीजाराम भाम्बी निवासी कजनावास की सम्पति में निहित हो गये। दत्तक विलेख की प्रतिलिपि पेश है।

यह है कि स्वतन्त्र सिंह का उक्त गोपाराम पुत्र बीजाराम भाम्बी के गोद पुत्र हो जाने के तथ्य पूर्णतः स्वीकृत तथ्य है। जिन्हे प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है एवं सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के समान लाभ लिया है जो निम्न प्रकार है।

1. पंजीकृत गोदनामा दिनांक 23/29.06.1966 ।
2. MBBS परीक्षा में अनुसूचित जाति के कोटे से लाभ प्राप्त करना।
3. खसरा सं0 577 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा ग्राम जोचिणा खसरा सं0 940 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा ग्राम बरणा तहसील बीलाड़ा में खातेदारी के अनुरूप स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम भाम्बी के नाम की खातेदारी दर्ज होना।
4. स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम भाम्बी निवासी जोधपुर के नाम से खसरा सं0 270 की भूमि राजस्व ग्राम कुचामन की खरीद करना।
5. खसरा सं0 940 रकबा 23 बीघा 02 बिस्वा की अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बरणा में स्थित का 1/2 भाग दौलाराम, माणकराम बावरी निवासी बरणा को सप्रतिफ के दिनांक 22.09.2000 को देना एवं विक्रय विलेख में प्रतिवादी की नाम फोटा प्रति सहित दर्ज होना।
6. खसरा सं0 196 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा ग्राम बरणा भू–अभिलेख क्षैत्र बिलाड़ा की भूमि 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम भाम्बी के नाम दर्ज होना।
7. न्यायालय श्री सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रट, कुचामन सिटी के न्यायालय में परिवादी डॉ0 स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम भाम्बी निवासी जोधपुर हाल नोहर के नाम से राजेन्द्र को मुख्त्यार बताते हुए अपने नाम से अपने हस्ताक्षर युक्त इस्तगासा [illegible] प्रोटेस्ट पीटीशन पेश की, इसी परिवादी [illegible] CRPC के अन्तर्गत मुस्तगीस के रूप में पेश से डॉक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

दी है इससे पूर्ण स्पष्ट है कि स्वतन्त्र सिंह पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह जाट निवासी रणसीसर नाम के व्यक्ति का कोई विधिक अस्तित्व नही रहा।

यह है उपरोक्त पैरा सं0 3 वर्णित खसरा सं0 331 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा ग्राम बांठड़ी तहसील डीडवाना में अवस्थित है। जिसके नये खसरे 680 रकबा 7.78 हैक्टे0 व 666 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै.मु. बाड़ा की रणसीसर में उक्त स्व0 मोतीराम खातेदारी थी जिनका स्वर्गवास 1983 व उनकी पत्नि का स्वर्गवास 1976 में हो जाने के हाने के बाद उक्त खेतो पर भौतिक कब्जा वादी पक्ष का हो गया। चूंकि वादीगण अपने ससुराल में रहती है परन्तु समय समय पर पीहर भी आती है वादीगण के ताऊजी के पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह को खेतो की सार सम्भाल करने व काश्त कर उक्त काश्त का लाभ वादीगण को देते। वादीगण की इच्छा व सहमति से भाई ज्ञानेन्द्र सिंह का काश्त उक्त जायगा पर रहा।

यह है वादीगण के उक्त ताऊजी के लड़के ज्ञानेन्द्र सिंह का दिनांक 27.12.2019 को स्वर्गवास हो गया। इसके बाद अप्रेल 2020 में वादीगण अपने खेतो को सम्भालने आये तो वही प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह को घुमता देख शक जाहिर करते हुए यहा घुमने का कारण पुछने पर कोई मन्शा जाहिर नही की। परन्तु वादीगण वर्षात होने पर मई–जून 2020 में खेतो की स्थिति देखने आये तो 2–4 व्यक्ति उक्त खेतो में घुमते मिले, कारण पुछने पर बताया की स्वतन्त्र सिंह ने उक्त खेतो की बैचाण करने की बात कही है। वादीगण ने तुरन्त विभागो से जानकारी प्राप्त की तो पता चला की प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह ने किसी प्रभाव शून्य दस्तावेज कथित बखशीश नामा कि लिखित दिनांक 13.07.1978 पंजीकरण दिनांक 24.08.1978 का होना बताया। प्रभाव शून्य दस्तावेज के आधार पर उक्त खेतो की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकी ऐसे गलत बखशीशनामा का न तो कोई विधिक अस्तित्व होता है ओर न ऐसे दस्तावेज पर एक्त ओपन किया जा सकता है। प्रथम तो यह दस्तावेज फर्जी व कुटरचित है। यह दस्तावेज अविधिक होकर वादीगण के हितो के प्रति प्रभाव शून्य है। बखशीशनामा दिनांक 13.07.1978 पंजीकृत दिनांक 24.08.1978 जो मोतीराम द्वारा किसी स्वतन्त्र सिंह जाट कथित पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह के नाम करना बताया गया है। वह वादगीण के हित व अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य घोषित किया जाना और इसके आधार पर की गई खातेदारी को हटाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के नाम खातेदारी घोषित किया जाना ही न्यायोचित है।

यह है कि प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह बाल्यकाल में साढे सात वर्ष की उम्र में गोपाराम पुत्र बीजाराम भाम्बी व उसकी पत्नी सेजा निवासी कजनाबास तहसील औसिया जिला जोधपुर के गोद चला गया स्वतन्त्र सिंह के बताये गये प्राकृतिक पिता ज्ञानेन्द्र सि[illegible] गोद देने के पश्चात प्राकृतिक पिता की सम्पति के अधिकार समाप्त हो गये [illegible] 3 / 29.06. 1966 को उक्त गोद के लेन–देन से [illegible] का निष्पादन कर दिया तो उसे पूर्णतः [illegible] रणसीसर तहसील के पश्चात स्वतन्त्र सिंह पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह जाट निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

डीडवाना जिला नागौर राज0 का वास्तविक एवं विधिक अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया और प्रतिवादी इस रूप में उक्त नाम का कोई व्यक्ति नही रहा। उक्त गोद कि तिथि से प्रतिवादी का विधिक अस्तित्व केवल मात्र स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम जाति भाम्बी (अनुसूचित जाति) निवासी ग्राम कजनाबास तहसील औसिया जिला नागौर राज0 हो गया और वह इसी नाम से जाना पहचाना एवं समाज में इसी अनुरूप उसका अस्तित्व बन गया। इसी अनुरूप मेडिकल कक्षाओं प्रवेश लिया, दत्तक ग्रहिता पिता गोपाराम की सम्पूर्ण सम्पति का नामान्तकरण हुआ और गोपाराम भाम्बी के पुत्र होने कि स्थिति बताकर ही स्वतन्त्र सिंह ने सम्पतियां खरीदी व बेची। यदि वादीगण के पिता मोतीराम ने किसी अनाअस्तित्व वाले व्यक्ति के नाम कोई बखशीश किया भी गया वह बखशीश पूर्णरूप से अवैध व वादीगण के हितो के प्रति प्रभाव शून्य है। उक्त बताये गये बखशीशनामा दिनांक 13.07.1978 पंजीकरण दिनांक 24.08.1978 के किसी भाग पर बताये गये बखशीश को स्वीकार कर लेने के हस्ताक्षर नही है।

प्रार्थना वादीगण निम्न प्रकार हैः—

1. यह है कि विवादित खेत खसरा सं0 331 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा ग्राम बांठड़ी में अवस्थित है जिसके पुराने खसरान् नम्बर 331 के पहले नये नम्बर 433 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा तथा इसके फिर नये खसरा सं0 680 रकबा 7.78 हैक्टे0 बना, खसरा सं0 666 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा ग्राम रणसीसर में अवस्थित है कि खातेदारी वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के नाम घोषित की जावे। इस आशय की डिक्री वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 2ता 7 के पक्ष में जारी की जाकर तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा प्रतिवादी सं0 1 स्वतन्त्र सिंह की खातेदारी उक्त खसरा सं0 में से हटायी जाने की डिक्री भी वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।
2. यह है कि बखशीशनामा दिनांक 13.07.1978 जिसका पंजीकरण दिनांक 24.08.1978 जो मोतीराम पुत्र बीजाराम द्वारा प्रतिवादी स्वतन्त्र सिंह पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह जाट निवासी रणसीसर के नाम से किया गया है। उक्त बखशीशनामा को वादीपक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के हितो के प्रति प्रभाव शून्य घोषित किया जावें इस आशय की डिक्री वादीपक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं0 01, 2/1 से 2/7 के नोटिस अखबार साया करवाकर तामील की गई एवं अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षी0सं0य कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 के विरूद्ध भीह बावजुद तामील के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य वादी में वादीगण ने श्री नाथूराम [illegible] राम जाट निवासी कठौती तहसील जायल एवं श्री [illegible] निवासी रणसीसर जाटान तहसील डीडवाना के शपथ पत्र पेश [illegible] वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

अपनी साक्ष्य में निम्न दजस्तावेज पेश किए। जिनमें गोदनामा दिनांक 23.06.1966 पंजीकरण दिनांक 29.06.1966 प्रदर्श–1, बक्षीशनामा प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल संवत 2022 प्रदर्श–3, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल संवत 2073 प्रदर्श–4, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–5, संवत 2011 से 2013 तक खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6, इस्तगासा प्रदर्श–7, स्वतन्त्र सिंह के बयान प्रदर्श–8, कुचामन सिटी में स्वतन्त्र सिंह द्वारा खरीदी गई सम्पति के दस्तावेज प्रदर्श–9 है।

बहस अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 स्वतंत्र सिंह सन् 1966 में ही गोपाराम पुत्र बीजाराम जाति भाम्बी के गोद चला गया था। जिसका गोदनामा 29.06.1966 को ही पंजीयन हो गया था। जब स्वतंत्र सिंह अनुसूचित जाति के गोद चला गया तो उसका मोतीराम जी की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं रहा। स्वतंत्र सिंह ने अनुसूचित जाति के जो भी लाभ मिलते है वह सभी उसने लाभ लिये तथा अनुसूचित जाति का लाभ लेकर ही उसने एम0बी0बी0एस0 परीक्ष का फायदा लिया। बखशीशनामा कि लिखित दिनांक 13.07.1978 पंजीकरण दिनांक 24.08.1978 का होना बताया और उक्त शुन्य करणीय दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी अपने आप को गलत रूप से ज्ञानेन्द्र सिंह का पुत्र बताते हुए इस प्रभाव शुन्य बखशीश के आधार पर उक्त खेतों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि ऐसे गलत बखशीशनामा का न तो कोई विधिक अस्तित्व होता है और न ऐसे दस्तावेज पर एक्ट अपोन किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज अविधिक होकर वादीगण के हितों के प्रति प्रभाव शुन्य है। जब स्वतंत्र सिंह सन् 1966 में गोपाराम भाम्बी के गोद चला गया। उक्त स्वतंत्र सिंह गोद जाने के तुरन्त पश्चात "स्वतंत्र सिंह पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह जाट निवासी रणसीसर तहसील डीडवाना जिला नागौर" का वास्तविक एवं विधिक अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया और प्रतिवादी इस रूप में उक्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहा। अतः खसरा सं0 331 रकबा 48.01 बीघा ग्राम बांठडी जिसके पुराने खसरान नम्बन 331 के नये खसरा नं0 433 रकबा 48.01 बीघा तथा इसके फिर नये नम्बर 680 रकबा 7.78 बीघा बने, खसरा नं0 666 रकबा 0.0600 हैक्टयर गै0मु0 बाडा ग्राम रणसीसर में अवस्थित है कि खातेदारी वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के नाम घोषित की जावें। इस आशय की डिक्री वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 [illegible] जारी की जाकर तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया [illegible] प्रदान करावें तथा प्रतिवादी सं0 01 स्वतंत्र सिंह को [illegible] उक्त खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

नम्बरान से हटायी जाने की डिक्री भी वादी पक्ष व प्रतिवादी सं0 02 ता 07 के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। संवत 2011 का खातेदारी मोती पुत्र भीजा कौम जाट के नाम से है। वादीगण ने अपने पैत्रक सम्पति का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त जायगा वादीगण की पैत्रक सम्पति है। उक्त सम्पति मोतीराम की स्वअर्जित सम्पति है। जिसे वह किसी को भी बखशीश/बेचान इत्यादि करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वादीगण का वाद पोषनीय नहीं होने के कारण काबिले खारिज योग्य है।

–:आदेश :–

अतः वादीगण का वाद पोषनीय नहीं होने के कारण तथा सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 04.03.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 270/2020 दायर दिनाँक 08.10.2020

वादीगण

1. बाली देवी पुत्री स्व0 मोतीराम जाट पत्नि स्व0 हनुमानराम (फौत)
   1/1 नाथुराम पुत्र हनुमानराम
   1/2 गोरधनराम पुत्र हनुमानराम
   1/3 राम कुंवार पुत्र हनुमानराम समस्त जाति जाट निवासी कटोती तहसील जायल जिला नागौर।
   1/4 श्रीमती मंगनी देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि नाथुराम जाति जाट निवासी तीतरी तहसील लाडनूं
   1/5 रामेश्वरी देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि तिलोकाराम निवासी लोरोली छोटी तहसील डीडवाना
   1/6 मुन्नी देवी पुत्र हनुमानराम पत्नि गणेशाराम निवासी लोरोली छोटी तहसील डीडवाना
   1/7 रूकमा देवी पुत्री हनुमानराम पत्नि लूणाराम निवासी चुआ तहसील डेगाना
2. पेमी देवी पुत्री स्व0 मोतीराम जाट पत्नी स्व0 पूरखाराम उम्र 75 वर्ा मूल निवासी रणसीसर जाटान हाल निवासी तीतरी तहसील लाडनूं, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. स्वतन्त्र सिंह पुत्र गोपाराम जाति भाम्बी उम्र लगभग 73 वर्ष निवासी जोधपुर हाल मुकाम टैगोर सर्किल के पास, कस्बा नोहर तहसील नोहल जिला हनुमानगढ़ कथित रूप से स्वतन्त्र सिंह कथित पुत्र स्व. ज्ञानेद्र सिंह जाट कथित निवासी रणसीसर जाटान तहसील डीडवाना।
2. झमकु देवी पुत्री स्व. मोतीराम जाट पत्नि स्व0 पूरखाराम (फौत)
   2/1 सालिगराम पुत्र स्व0 झमकु देवी जाति जाट निवासी गोदरास
   2/2 चुनाराम पुत्र स्व झमकु देवी जाति जाट निवासी गोदरास
   2/3 मोहनी पुत्र स्व0 झमकु देवी पत्नि गोपालराम जाति जाट निवासी दुदोली
   2/4 प्रेम पुत्र स्व0 झमकु देवी पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी दुदोली
   2/5 छोटी पुत्री स्व झमकु देवी वत्पि गोविन्दराम जाति जाट निवासी कडवा की ढाणी
   2/6 बाजु पुत्री स्व0 झमकु देवी पत्नि चेतनराम जाति जाट निवासी खुनखुना
   2/7 नौजी पुत्री स्व0 झमकु देवी पत्नि हरदीनाराम जाति जाट निवासी नोजला की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर
3. भींयाराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
4. सीताराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
5. बस्तीराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
6. जवानाराम पुत्र स्व. रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार)
7. किशनाराम पुत्र स्व0 रामकरण (प्रफोर्मा पक्षकार) (माता सिंणगारी पुत्री मोतीराम, दोहिता स्व. मोतीराम) समस्त जाति जाट दोलिया निवासीगण ग्राम खियाला तहसील जायल [illegible] राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, घोषित करने शून्य दस्तावेज आदि एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 04.03.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र कुमार माथुर वकील वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीगण का वाद पोषनीय नहीं होने के कारण तथा सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारीज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–..... .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 04.03.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner